

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठारसीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-72/2024

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
राणीदेवी पत्नी अमराराम जाति रैबारी निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. बांकाराम पुत्र डूंगराराम 2. चूनीदेवी पत्नी डूंगराराम 3. झीमोदेवी पत्नी सुरताराम 4. तगाराम पुत्र सुरताराम 5. पुखाराम पुत्र सुरताराम 6. शेराराम पुत्र कोजाराम जातियान राईका निवासीयान निम्बली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निर्णय

दिनांक-07.07.2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि मौजा- निम्बली के खसरा संख्या 7/2 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 17.04.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मितस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- निम्बली के खसरा संख्या 7/2 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

3
राजस्थान सरकार
सिणधरी

क. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा नं.	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म गूमि	लगान (रु०)	बरंग
1.	राणीदेवी पत्नि अमराराम जाति रैवारी (देवासी) सा. हेह खातेदार	निम्बली	7/2	2.0225	बा.दो	0.24	हरा
2.	बांकाराम पुत्र झुंगराराम 813/2643, चूनी पत्नि झुंगराराम 813/2642, कमिया पत्नि बांकाराम 420/1321, शेराराम पुत्र कोजाराम 88/1321 सा. हेह खातेदार	निम्बली	7/2	10.6869	बा.दो	1.28	आसमानी
3	तगाराम पुत्र सुरताराम 57/57/310, पुखाराम पुत्र सुरताराम 186/310 झीमों पत्नि सुरताराम 67/310 जाति राईका सा. देह खातेदार	निम्बली	7/2	2.5079	बा.दो	0.31	गुलाबी

तहसीलदार, सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.) सिणधरी